eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 08, August 2023

मानवाधिकार और घरेलू हिंसा

[1]श्याम सिंह
[1](सहायक आचार्य–बी.एड़.) डी.ए–वी. कॉलेज, सिविल लाइन्स, कानपुर नगर (उ0प्र0)

Abstract

मानव अधिकारों से अभिप्राय मौलिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता से है जिसके सभी मानव प्राणी हकदार है। अर्थात उनमें नागरिक और राजनैतिक अधिकार सम्मिलित हैं। जैसे कि जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्र रहने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के सामने समानता एवं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के साथ ही साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, भोजन एवं रोजगार के साथ–साथ समान शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। मानव अधिकार सार्वभौमिक हैं इसलिए ये हर जगह और हर समय लागू होते हैं, जो हर व्यक्ति को उसके लिंग, जाति, पंथ, धर्म, राष्ट्र, स्थान या आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना दिए गए हैं।घरेलू हिंसा दुनिया के लगभग हर समाज में मौजूद है। इस शब्द को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है जिनमें पति या पत्नी, बच्चों या बुजुर्गों तथा ट्रांसजेंडरों के खिलाफ हिंसा के कुछ उदाहरण प्रत्यक्ष रूप से सामने हैं। पीड़ित के खिलाफ हमलावर द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में शारीरिक शोषण, भावनात्मक शोषण, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार या वंचितता, आर्थिक शोषण, गाली–गलौज, ताना मारना आदि शामिल हैं। घरेलू हिंसा न केवल विकासशील या अल्प विकसित देशों की समस्या है बल्कि यह विकसित देशों में भी बहुत प्रचलित है। घरेलू हिंसा हमारे छद्म सभ्य समाज का प्रतिबिंब है।

महत्वपूर्ण शब्द : मानवाधिकार, मानवीय गरिमा, मौलिक अधिकार स्वतंत्रता एवं घरेलू हिंसा।

Introduction

देश के विशाल आकार और विविधता, विकासशील तथा सम्प्रभुता सम्पन्न पन्थनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा, तथा एक भूतपूर्व औपनिवेशिक राष्ट्र के रूप में इसके इतिहास के परिणामस्वरूप भारत में मानवाधिकारों की परिस्थिति एक प्रकार से जटिल हो गई है। भारत का संविधान मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसमें धर्म की स्वतन्त्रता भी आवष्यक है। संविधान की धाराओं में बोलने की आजादी के साथ–साथ कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन तथा देश के अन्दर एवं बाहर आने–जाने की भी स्वतन्त्रता दी गई है।

मानवाधिकार :– मानव अधिकार मूल रूप से वे अधिकार हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को इंसान होने के कारण मिलते हैं। ये अधिकार नगर पालिका से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानून तक कानूनी अधिकार के रूप में संरक्षित है। मानवाधिकार मापदंडों का एक स्वरूप है जो मानव व्यवहार के कुछ मानकों को चित्रित करता है और व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के प्रदान किया जाता है। हालांकि इन अधिकारों को कानून द्वारा संरक्षित किया गया है, लेकिन फिर भी इनमें से कई अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इन अधिकारों का हक मिले इसके लिए आवश्यक है इन अधिकारों की जानकारी का होना। हर व्यक्ति को अपने अधिकार की जानकारी होने के साथ ही कानूनी संरक्षण की भी जानकारी का होना भी आवश्यक है। मानव संरक्षण अधिकार अधिनियम 1993 के आधार पर राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग बना। एक राज्य मानवाधिकार आयोग भारतीय संविधान

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 08, August 2023

की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल विषयों से संबंधित अधिकारों के उल्लंघन की जाँच कर सकता है। वर्तमान में भारत के 24 राज्यों में राज्यस्तरीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है।

सार्वभौमिक मानव अधिकारों में स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा, भाषण की स्वतंत्रता, सक्षम न्यायाधिकरण, भेदभाव से स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता का अधिकार और इसे बदलने के लिए स्वतंत्रता, विवाह और परिवार के अधिकार, आंदोलन की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा के अधिकार, शांतिपूर्ण विधानसभा और संघ के अधिकार, गोपनीयता, परिवार, घर और पत्राचार से हस्तक्षेप की स्वतंत्रता, सरकार में और स्वतंत्र रूप से चुनाव में भाग लेने का अधिकार, राय और सूचना के अधिकार, पर्याप्त जीवन स्तर के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार और सामाजिक आदेश का अधिकार जो इस दस्तावेज को अभिव्यक्त करता हो आदि शामिल है।

हम जानते हैं कि मानव अधिकारों की शिक्षा, शिक्षा के अधिकार का एक अनिवार्य अंग है तथा हाल में इसे एक मानव अधिकार के रूप में बड़े पैमाने पर मान्यता दी गई है। अपने तथा दूसरों के अधिकारों और आजादी के ज्ञान को मानवीय प्रतिष्ठा तथा सभी के अधिकारों के सम्मान की गारंटी का मूलभूत साधन माना जाता है। मानव अधिकारों की शिक्षा का मूल भाव यह है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल प्रशिक्षित और व्यावसायिक कामगारों को ही तैयार करना नहीं है बल्कि समाज में परस्पर व्यवहार करने का कौशल रखने वाले व्यक्तियों का विकास करने में सहयोग देना भी है। मानव अधिकार शिक्षा का उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी एवं छात्र समाज में परिवर्तन लाने तथा समाज को साथ लेकर चलने की योग्यता विकसित करें। यह शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों को अच्छा नागरिक बना सके और वे सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए पूरी क्षमता के साथ जुड़ सकें। शिक्षा ही लोगों को सशक्त करती है, उनके जीवन स्तर में सुधार लाती है तथा सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक नीतियों की निर्णयात्मक प्रक्रिया में भागीदारी के लिए उनकी क्षमता में बढ़ोत्तरी करती है। हमें ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जिसमें शिक्षा मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास तथा मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रता के लिए आदर को सुदृढ़ करने पर केन्द्रित हो।

डॉ0 अम्बेडकर ने समाज के निम्न वर्ग के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक अधिकारों को मानव अधिकारों से जोड़ा। यह आश्चर्य का विषय है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी शोषण, अन्याय, छूआछूत, स्त्री–पुरुष असमानता का अस्तित्व बना हुआ है, जिसके कारण मानव अधिकारों का हनन आज भी किया जा रहा है। वर्तमान युग में संगठित रूप में भारत में नागरिक अधिकार आन्दोलन की शुरूआत 1936 में 'सिविल लिबर्टीज यूनियन' के गठन के साथ हुई। इसके गठन में पंडित जवाहर लाल नेहरू की मुख्य भूमिका थी। स्वतंत्रता के बाद इस यूनियन की सक्रियता कम हो गई। संभवतः यह माना गया कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले संविधान के लागू होने के बाद इसकी आवश्यकता नहीं रही। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार घोषणा–पत्र पर भारत ने 1948 में हस्ताक्षर किये थे। तथापि लगभग एक वर्ष पूर्व निर्मित भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के माध्यम से मानवाधिकारों को मान्यता दी जा चुकी थी। संविधान के खण्ड तीन में विधि के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14), धर्म मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध (अनुच्छेद

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 08, August 2023

15), अवसर की समानता (अनुच्छेद 16), अस्पृश्यता का अंत (अनुच्छेद 17), वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19), अपराधों के लिए दोषसिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण (अनुच्छेद 20), प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21), मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिशेध (अनुच्छेद 24), धर्म की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 29, 30) इत्यादि अधिकार भारत के नागरिकों (कुछ मामलों में अनागरिकों को भी) को प्रदान किए गए हैं। इतना ही नहीं संविधान में इन अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 में सांविधानिक उपचार भी दिए गए है। केन्द्र सरकार द्वारा इन अधिकारों के संरक्षण तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किए जाने वाले मानवाधिकारों सम्बन्धी अभिसमयों, प्रसंविदाओं के सम्यक् पालन हेतु तथा सम्बन्धित उत्तरदायित्वों के सम्यक् निर्वहन हेतु 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया।

राष्ट्रीय मानवाधिकर आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अन्तर्गत किया गया है। आठ सदस्यीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसी पूर्व मुख्य न्यायाधीश को बनाया जाता है तथा 7 अन्य सदस्यों में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, एससी–एसटी आयोग के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा दो विशेषज्ञ होते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में सभी राज्यों को मानवाधिकार आयोग के गठन का भी निर्देश दिया गया है। अधिनियम में मानवाधिकार संबंधी मामलों के त्वरित निपटान हेतु प्रत्येक जिला–मुख्यालय पर एक मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना तथा अधिनियम की धारा 31 के अनुसार इन न्यायालयों में अभियोजन अधिकारियों की नियुक्ति का भी प्रावधान है। भारतीय संविधान में सभी मानवाधिकारों को शामिल किया गया है।

घरेलू हिंसा :– घरेलू हिंसा (वैवाहिक दुर्व्यवहार, अंतरंग साथी हिंसा, घरेलु मारपीट या पारिवारिक हिंसा आदि) सहवास अथवा विवाह जैसे बंधनों के बाद घरेलू स्तर पर एक साथी का अन्य साथी के साथ मारपीट अथवा दुर्व्यवहार को प्रकट करने वाला शब्द है। अंतरंग साथी अथवा जीवन साथी के साथ दुर्व्यवहार भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। घरेलू हिंसा विपरीत लिंगी अथवा समलैंगिक संबंधों में भी हो सकती है। घरेलू हिंसा के शारीरिक, भावनात्मक, मौखिक, आर्थिक और यौन शोषण सहित विभिन्न रूप हो सकते हैं, जिसमें धूर्तता से लेकर विवाह पश्चात बलात यौन सम्बन्ध और हिंसक शारीरिक शोषण भी शामिल हैं एवं इसके परिणामस्वरूप मानसिक अथवा शारीरिक विरूपण अथवा मौत भी संभव है। वैश्विक रूप से सामान्यतः पत्नी अथवा महिला साथी घरेलू हिंसा की शिकार अधिक होती है हालांकि इसका शिकार पुरुष साथी अथवा दोनों एक दूसरे के खिलाफ घरेलू हिंसा का शिकार हो सकते हैं अथवा दोषी आत्मरक्षा या प्रतिशोध के कारण भी घरेलू हिंसा का शिकार हो सकता है। जबकि विकसित विश्व में घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को प्राधिकारियों के पास खुले आम शिकायत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, यह तर्क दिया जाता है कि पुरुषों के साथ होने वाली घरेलू हिंसा को प्रतिवेदित नहीं किया जाता क्योंकि इससे उन्हें सामाजिक रूप से कायर और पुरुषत्वहीन माना जाता है।

भारत में घरेलू हिंसा के विभिन्न रूप– भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अनुसार, घरेलू हिंसा के पीड़ित के रूप में महिलाओं के किसी भी रूप तथा 18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिका को संरक्षित किया गया है। भारत में घरेलू हिंसा के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं–

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 08, August 2023

1. **महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा–** किसी महिला को शारीरिक पीड़ा देना जैसे– मारपीट करना, धकेलना, ठोकर मारना, किसी वस्तु से मारना या किसी अन्य तरीके से महिला को शारीरिक पीड़ा देना,महिला को अश्लील साहित्य या अश्लील तस्वीरों को देखने के लिये विवश करना, बलात्कार करना, दुर्व्यवहार करना, अपमानित करना, महिला की पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को आहत करना, किसी महिला या लड़की को अपमानित करना, उसके चरित्र पर दोषारोपण करना, उसकी शादी इच्छा के विरुद्ध करना, आत्महत्या की धमकी देना, मौखिक दुर्व्यवहार करना आदि। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट के अनुसार, लगभग दो–तिहाई विवाहित भारतीय महिलाएँ घरेलू हिंसा की शिकार हैं और भारत में 15–49 आयुवर्ग की 70% विवाहित महिलाएँ पिटाई, बलात्कार या ज़बरन यौन शोषण का शिकार हैं।
2. **पुरुषों के विरुद्ध घरेलू हिंसा–** इस तथ्य पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं है कि महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा एक गंभीर और बड़ी समस्या है, लेकिन भारत में पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा भी धीरे–धीरे बढ़ रही है। समाज में पुरुषों का वर्चस्व यह विश्वास दिलाता है कि वे घरेलू हिंसा के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। हाल ही में चंडीगढ़ और शिमला में सैकड़ों पुरूष इकट्ठा हुए, जिन्होंने अपनी पत्नियों और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा उनके खिलाफ की जाने वाली घरेलू हिंसा से बचाव और सुरक्षा की गुहार लगाई थी।
3. **बच्चों के विरुद्ध घरेलू हिंसा–** हमारे समाज में बच्चों और किशोरों को भी घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। वास्तव में हिंसा का यह रूप महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बाद रिपोर्ट किये गए मामलों की संख्या में दूसरा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों तथा भारत में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के परिवारों में इसके स्वरूप में बहुत भिन्नता है। शहरी क्षेत्रों में यह अधिक निजी है और घरों की चार दीवारों के भीतर छिपा हुआ है।
4. **बुजुर्गों के विरुद्ध घरेलू हिंसा–** घरेलू हिंसा के इस स्वरूप से तात्पर्य उस हिंसा से है जो घर के बूढ़े लोगों के साथ अपने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा की जाती है। घरेलू हिंसा की यह श्रेणी भारत में अत्यधिक संवेदनशील होती जा रही है। इसमें बुजुर्गों के साथ मार–पीट करना, उनसे अत्यधिक घरेलू काम कराना, भोजन आदि न देना तथा उन्हें शेष पारिवारिक सदस्यों से अलग रखना शामिल है।

घरेलू हिंसा के कारण–

1. महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा का मुख्य कारण मूर्खतापूर्ण मानसिकता है कि महिलाएँ पुरुषों की तुलना में शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं।
2. प्राप्त दहेज़ से असंतुष्टि, साथी के साथ बहस करना, उसके साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करना, बच्चों की उपेक्षा करना, साथी को बताए बिना घर से बाहर जाना, स्वादिष्ट खाना न बनाना शामिल है।
3. विवाहेत्तर संबंधों में लिप्त होना, ससुराल वालों की देखभाल न करना, कुछ मामलों में महिलाओं में बाँझपन भी परिवार के सदस्यों द्वारा उन पर हमले का कारण बनता है।
4. पुरुषों के प्रति घरेलू हिंसा के कारणों में पत्नियों के निर्देशों का पालन न करना, 'पुरुषों की अपर्याप्त कमाई, विवाहेत्तर संबंध, घरेलू गतिविधियों में पत्नी की मदद नहीं करना है' बच्चों की

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 08, August 2023

उचित देखभाल न करना, पति–पत्नी के परिवार को गाली देना, पुरुषों का बाँझपन आदि कारण हैं।

5. बच्चों के साथ घरेलू हिंसा के कारणों में माता–पिता की सलाह और आदेशों की अवहेलना, पढ़ाई में खराब प्रदर्शन या पड़ोस के अन्य बच्चों के साथ बराबरी पर नहीं होना, माता–पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बहस करना आदि हो सकते हैं।
6. ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के साथ घरेलू हिंसा के कारणों में बाल श्रम, शारीरिक शोषण या पारिवारिक परंपराओं का पालन न करने के लिये उत्पीड़न, उन्हें घर पर रहने के लिये मजबूर करना और उन्हें स्कूल जाने की अनुमति न देना आदि हो सकते हैं।
7. गरीब परिवारों में पैसे पाने के लिये माता–पिता द्वारा मंदबुद्धि बच्चों के शरीर के अंगों को बेचने की ख़बरें मिली हैं। यह घटना बच्चों के खिलाफ क्रूरता और हिंसा की उच्चता को दर्शाता है।
8. वृद्ध लोगों के खिलाफ घरेलू हिंसा के मुख्य कारणों में बूढ़े माता–पिता के ख़र्चों को झेलने में बच्चे झिझकते हैं। वे अपने माता–पिता को भावनात्मक रूप से पीड़ित करते हैं और उनसे छुटकारा पाने के लिये उनकी पिटाई करते हैं।
9. विभिन्न अवसरों पर परिवार के सदस्यों की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिये उन्हें पीटा जाता है। बहुत ही सामान्य कारणों में से एक संपत्ति हथियाने के लिये दी गई यातना भी शामिल है।

घरेलू हिंसा के प्रभाव–

1. यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में घरेलू हिंसा का सामना किया है तो उसके लिये इस डर से बाहर आ पाना अत्यधिक कठिन होता है। अनवरत रूप से घरेलू हिंसा का शिकार होने के बाद व्यक्ति की सोच में नकारात्मकता हावी हो जाती है। उस व्यक्ति को स्थिर जीवनशैली की मुख्यधारा में लौटने में कई वर्ष लग जाते हैं।
2. घरेलू हिंसा का सबसे बुरा पहलू यह है कि इससे पीड़ित व्यक्ति मानसिक आघात से वापस नहीं आ पाता है। ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि लोग या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं या फिर अवसाद का शिकार हो जाते हैं।
3. घरेलू हिंसा की यह सबसे खतरनाक और दुखद स्थिति है कि जिन लोगों पर हम इतना भरोसा करते हैं और जिनके साथ रहते हैं जब वही हमें इस तरह का दुख देते हैं तो व्यक्ति का रिश्तों पर से विश्वास उठ जाता है और वह स्वयं को अकेला कर लेता है। कई बार इस स्थिति में लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं।
4. घरेलू हिंसा का सबसे व्यापक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। सीटी स्कैन से पता चलता है कि जिन बच्चों ने घरेलू हिंसा में अपना जीवन बिताया है उनके मस्तिष्क का कॉर्पस कॉलोसम और हिप्पोकैम्पस नामक भाग सिकुड़ जाता है, जिससे उनकी सीखने, संज्ञानात्मक क्षमता और भावनात्मक विनियमन की शक्ति प्रभावित हो जाती है।
5. बालक अपने पिता से गुस्सैल व आक्रामक व्यवहार सीखते हैं। इस का असर ऐसे बच्चों का अन्य कमज़ोर बच्चों व जानवरों के साथ हिंसा करते हुए देखा जा सकता है।
6. बालिकाएँ नकारात्मक व्यवहार सीखती हैं और वे प्रायः दब्बू, चुप–चुप रहने वाली या परिस्थितियों से दूर भागने वाली बन जाती हैं।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 08, August 2023

7. प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि हिंसा की शिकार हुई महिलाएँ समाजिक जीवन की विभिन्न गतिविधियों में कम भाग लेती हैं।

समाधान के उपाय– शोधकर्त्ता के अनुसार, यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है–

1. घरेलू हिंसा के सभी पीड़ित आक्रामक नहीं होते हैं। हम उन्हें एक बेहतर वातावरण उपलब्ध करा कर घरेलू हिंसा के मानसिक विकार से बाहर निकल सकते हैं।
2. भारत अभी तक हमलावरों की मानसिकता का अध्ययन करने, समझने और उसमें बदलाव लाने का प्रयास करने के मामले में पिछड़ रहा है। हम अभी तक विशेषज्ञों द्वारा प्रचारित इस दृष्टिकोण की मोटे तौर पर अनदेखी कर रहे हैं कि महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाली हिंसा और भेदभाव को सही मायनों में समाप्त करने के लिये हमें पुरुषों को न केवल समस्या का एक कारण बल्कि उन्हें इस मसले के समाधान के अविभाज्य अंग के तौर पर देखना होगा।
3. सुधार लाने के लिये सबसे पहले कदम के तौर पर यह आवश्यक होगा कि पुरुषों को महिलाओं के खिलाफ रखने" के स्थान पर पुरुषों को इस समाधान का भाग बनाया जाए। मर्दानगी की भावना को स्वस्थ मायनों में बढ़ावा देने और पुराने घिसे–पिटे ढर्रे से छुटकारा पाना अनिवार्य होगा।
4. सरकार ने महिलाओं और बच्चों को घरेलू हिंसा से संरक्षण देने के लिये घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 को संसद से पारित कराया है। इस कानून में निहित सभी प्रावधानों का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिये यह समझना ज़रूरी है कि पीड़ित कौन है। यदि आप एक महिला हैं और रिश्तेदारों में कोई व्यक्ति आपके प्रति दुर्व्यवहार करता है तो आप इस अधिनियम के तहत पीड़ित हैं। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 द्वारा भारत मानसिक स्वास्थ्य के प्रति गंभीर हो गया है, लेकिन इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है। नीति निर्माताओं को घरेलू हिंसा से उबरने वाले परिवारों को पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिये तंत्र विकसित करने की ज़रूरत है।
5. सरकार ने वन–स्टॉप सेंटर' जैसी योजनाएँ प्रारंभ की हैं, जिनका उद्देश्य हिंसा की शिकार महिलाओं की सहायता के लिये चिकित्सीय, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सेवाओं की एकीकृत रेंज तक उनकी पहुँच को सुगम व सुनिश्चित करता है।
6. महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये वोग इंडिया ने 'लड़के रुलाते नहीं' अभियान चलाया, जबकि वैश्विक मानवाधिकार संगठन 'ब्रेकथ्रू' द्वारा घरेलू हिंसा के खिलाफ 'बेल बजाओ' अभियान चलाया गया। ये दोनों ही अभियान महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा से निपटने के लिये निजी स्तर पर किये गए शानदार प्रयास थे।

सन्दर्भ :–

1- Devi, V (2007) The Institute of Human Right Education: Indian Experience, Asian School.
2- Kumar Raj (2003), Women's role in Indian Nation Movement.
3- Lavania, Sociological Research of Women, Jaipur Publication, New Delhi.
4- Mahanti, J. (2003). Human Right Education, New Delhi: Deep & Deep Publication Pvt. Ltd.

5- Dr. Upadhayaya R.K. & Dubey S.K. "Methodology Of Research Educational Research Data Analysis And Educational Statistics" Radha Publications Mandir, Agra-2 Pg-274.
6- livelaw.in https://hindi.livelaw.in › know-the-law › know-what-is..